

हरियाणा सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 1999

संख्या सा० का० नि० 87/संवि०/अन० 309/99 --- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) अधिसूचना संख्या 523/3 जी० एस० 70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं), अधिसूचना संख्या 523-3 जी० एस०-70/2068, दिनांक 28 जनवरी, 1970 में, पैरा 3 में,—

- (i) उप पैरा (क) में, अन्त में, विद्यमान चिह्न "।" के स्थान पर "।" चिह्न रखा जाएगा ; तथा
- (ii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु उसकी नियुक्ति, एक मास का नोटिस देते ए अथवा उसके बदले में एक मास के वेतन के भुगतान पर किसी भी समय, कारण बताए बिना, समाप्त की जा सकती है ।"।

राम एस० वर्मा
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(GENERAL SERVICES)**

Notification

The 5th August, 1999

No. G. S. R. 87/Const./Art. 309/99.—In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (General Services), notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, namely:—

AMENDMENT

In the Haryana Government, General Administration Department (General Services), notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January, 1970, In paragraph 3:—

- (i) in sub-paragraph (a), for sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted ;
and
- (ii) the following proviso shall be added at the end, namely :—

“Provided that his appointment may be terminated at any time by giving once month's notice or on payment of one month's pay in lieu thereof, without assigning any reason.”.

RAM S. VERMA,
Chief Secretary to Government, Haryana,
Chandigarh.